ई मेल

प्रेषक,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

1 प्राप्ति दिनांक 21/10/24
2 प्राप्ति संख्या
3 फाइल संख्या 208

सेवा में,

समस्त प्राचार्य,
राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
उत्तराखण्ड.....।

पत्रांक: 3650 /डिग्री सेवा-1/एक-29(68/02)/2024-25 दिनांक: 19 अक्टूबर, 2024

विषय: शिक्षकों की भाँति प्राचार्यों व निदेशालय के अधिकारियों को भी राष्ट्रीय सम्मेलन/सेमीनार/कार्यशाला में प्रतिभाग करने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशालय के पत्रांकःडिग्री सेवा/465-531/2007-08/दिनांक 12 अप्रैल, 2007 द्वारा राजकीय महाविद्यालयों मे कार्यरत प्राध्यापकों को उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय की प्रायोगिक/मौखिक परीक्षाओं, लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं का परीक्षकत्व कार्य करने तथा अपने विषय से सम्बन्धित अखिल भारतीय संगोष्ठियों/सेमिनारों आदि में शोध पत्र प्रस्तुत करने/ प्रतिभाग करने हेतु यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए प्रतिवर्ष अधिकतम 15 दिनों का विशेष अवकाश प्राचार्य स्तर से स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये हैं।

चूँकि प्राचार्य प्रशासकीय अधिकारी ना होकर अकादमिक प्रबन्धक हैं तथा शिक्षकों की भाँति दीर्घावकाश की सुविधा से आच्छादित हैं। प्रशासकीय कार्यों के निर्वहन में योगदानरत कार्मिकों को दीर्घावकाश के स्थान पर उपार्जित अवकाश का प्रावधान है। प्राचार्य शुद्ध प्रशासकीय अधिकारी ना होकर शिक्षक संवर्ग का वेकेशनल कार्मिक हैं।

अतः शिक्षकों की भाँति प्राचार्यों व निदेशालय के अधिकारियों को निदेशालय स्तर से उनके मूल विषय/सह विषय/अन्तर विषय हेतु गुण-दोष व प्रशासनिक/शासन के महत्वपूर्ण कार्यों का संज्ञान लेते हुए युक्तियुक्तम माध्यम से राष्ट्रीय सम्मेलन/कार्यशाला मे प्रतिभाग करने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

भवदीय,

(डॉ0 अन्जु अग्रवाल)
प्रभारी निदेशक उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)